

प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय,
संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक.....15 / रा0

23/2/16
प. 5
L
23/2/16

प्रेषक,

एन0के0मिश्र, भा.प्र.से.
आयुक्त,
संथाल परगना प्रमंडल,
दुमका।

सेवा में,

उपायुक्त,
देवघर।

दुमका, दिनांक.....23.2.2016

विषय :- देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रपत्र-X एवं XI का अनुमोदन करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-47/भू0अ0 दिनांक-13.02.2016 एवं पत्रांक-55/भू0अ0, दिनांक-22.02.2016
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रपत्र-X एवं XI The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act-2013 के नियम-17 (2), झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015 के नियम-30(3) एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक-39/नि0रा0, दिनांक-13.02.2015 के आलोक में प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोक्त।

Mishra
23/02/2016
आयुक्त,

संथाल परगना प्रमंडल,
दुमका।